न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2024	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम मांगी देवी व अन्य किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 11/2018 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण मांगी देवी, छाज्या, गायत्री देवी एवं रामस्वरूप जाति मीना की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 80/2015 उनवानी सरकार बनाम मूल्या वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2018 के अनुसार प्रकरण तहसीलदार दौसा हाल तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि अप्रार्थीगण की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में कोई परिवर्तन हो तो रेफरेन्स नये सिरे से तैयार कर अपेक्षित दस्तावेजात सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण की तलवी हेतु जारी किये गये रजिस्टर्ड नोटिस वापिस लौटकर प्राप्त हुये है जिन पर अप्रार्थीगण मांगी देवी, छाज्या, गायत्री देवी एवं रामस्वरूप जाति मीना की मृत्यु होना अंकित किया गया है। परन्तु तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रकरण में ना तो मृतक अप्रार्थीगण के कायम मुकाम की सूचना पेश की गई है ना ही प्रकरण में संशोधित टाइटल पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध रेफरेन्स चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थीगण मांगी देवी, छाज्या, गायत्री देवी एवं रामस्वरूप जाति मीना के वारिसान की जांच कर एवं अन्य अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में भी आवश्यक जांच कर संशोधित टाइटल, तलबी हेतु पूर्ण पता एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.02.03 11:12:06 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official